रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278090
CG-DL-E-20112026-278090

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6084] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2026/कार्तिक 29, 1948
No. 6084] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2026/KARTIKA 29, 1948

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2026

**का.आ. 6324(अ).—** आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन पश्चात उक्त अधिनियम से सन्दर्भित) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 36] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा गठित बोर्ड,- 'तेलंगाना भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' (पैन AAEAT9368D) को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) प्राप्त उपकर;

(ख) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों से प्राप्त/संग्रहित पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क; और

(ग) बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन निर्धारित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'तेलंगाना भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' (पैन AAEAT9368D):-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय विवरण दाखिल करेगा; और

(ग) की कर वर्षों के दौरान गतिविधियाँ और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी।

3. उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन न करने पर अनुसूची III [तालिका: क्रमांक 36] के तहत, धारा 11 के साथ पठित, छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 150 / 2026 / फा.सं. 300196/58/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th November, 2026

**S.O. 6324(E).—** In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Telangana Building & Other Construction Workers Welfare Board' (PAN AAEAT9368D), a Board constituted by the State Government of Telangana, in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:-

(a) cess received;

(b) registration & Renewal fee received/collected from the Building and other Construction Workers; and

(c) interest received on bank deposits.

**2.** This notification shall be effective subject to the conditions that 'Telangana Building & Other Construction Workers Welfare Board' (PAN AAEAT9368D):-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) shall file return of income in accordance with the provision of 263(9)(c)(xiii) of the said Act, 2025; and

(c) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

**3.** Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

**4.** This notification shall be applicable for the tax years 2026-27 and 2027-28.

[Notification No. 150 /2026 / F. No. 300196/58/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA